

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ई.फा. 264 विदेश यात्रा/जोन-जयपुर/2023/620 दिनांक-5/9/23

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कर्मचारी को विदेश यात्रा (मलेशिया) जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये है, का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.स.	नाम कर्मचारी एवं पद नाम	पदस्थापन स्थान	यात्रा का विवरण
1.	महेश चंद नर्सिंग ऑफिसर	प्रा.स्वा.डिगावडा, राजगढ, अलवर	दिनांक 06.09.2023 से 14.09.23 कुल 09 दिवस
2.	महेश मीना नर्सिंग ऑफिसर	जिला चिकित्सालय अलवर	दिनांक 07.09.23 से 14.09.23 कुल 08 दिवस

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत प्रस्थान करेगा तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 35(28)/चिस्वा /ग्रुप-3/2017 दिनांक 16.11.17 के अनुसारण में जारी की जा रही है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ई.फा. 264 विदेश यात्रा/जोन-जयपुर/2023/620 दिनांक-5/9/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक ईएसआई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर अलवर।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director
Date: 04-09-2023 05:11:27